Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shyam Prasad Mukhergi Nagar, Bharatpur
Email-id : rorpcb.bharatpur@gmail.com,

No. RPCB/RO/Bharatpur / 961 **Date : 20.11.2020**

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal
Central Zonal Branch
Bhopal

Sub:- OA No. 09/2020 (CZ) Dinanath Tiwari v/s PCCF Rajasthan & others
Ref:- Hon'ble NGT order dt 13.07.2020

Sir,

With reference to above subject, Kindly find enclosed Joint Inspection report for Necessary action please.

Yours Sincerely

Encl:- As above

(O.P. Gupta) 20.11.2020.
Regional Officer
RSPCB, Alwar

<u>संयुक्त जॉच प्रतिवेदन</u>

माननीय न्यायालय नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेषन संख्या 09/2020 (सीजैड) दीनानाथ तिवारी बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर एवं अन्य में माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण में पारित आदेष दिनांक 13.07.2020 के द्वारा संयुक्त जॉच दल का गठन किया गया।

कार्यालय उपवन संरक्षक धौलपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 7480 दिनांक 03.08.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा खसरा नं0 502/25, 503/25, 504/25, 505/25, 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 एवं 510/25 के निर्धारित क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किये जाने की शर्तो पर अनापत्ति प्रमाण पत्र खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर को जारी किया गया।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर द्वारा मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड (जबकि मिट्टी दोहन के कार्य के लिए एनजीटी ओरिजनल एप्लीकेषन संख्या 09/2020 (सीजैड) में मैसर्स पाम कस्ट्रक्षन एण्ड सप्लायर्स का नाम अंकित है।) के पक्ष में खसरा नं0 503/25 के रकवा 3 बीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 243 दिनांक 12.11.2018, खसरा नं0 502/25 के रकवा 4 बीघा 5 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 239 दिनांक 12.11.2018 एवं खसरा नं0 509/25 के रकवा 3 बीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में पत्र क्रमांक 216 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा मिट्टी उठाने के लिए अल्पावधि अनुमति जारी की गई। (प्रति संलग्न)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल में जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को मण्डल द्वारा अल्पावधि अनुमति के संदर्भ में किसी प्रकार की स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की गई।

कार्यालय उपवन संरक्षक, धौलपुर द्वारा खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर को जारी एनओसी दिनांक 03.08.2018 को पत्र क्रमांक 2732 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। (प्रति संलग्न)। इसी क्रम में खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान

विभाग, धौलपुर के द्वारा पूर्व में मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पक्ष में जारी किये गये अल्पावधि अनुमति को पत्र क्रमांक 374 से 378 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

माननीय न्यायालय नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, के आदेष दिनांक 13.07.2020 के क्रम्न में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 16.09.2020 ग्राम मालीपुरा, तहसील व जिला धौलपुर के खसरा 502/25, 503/25, 504/25, 505/25, 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 एवं 510/25 का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त फर्म को जारी अल्पावधि अनुमति के अन्तर्गत खसरा नं0 502/25, 503/25 एवं 509/25 में मिट्टी उठाने का कार्य किया गया एवं उसके साथ ही खसरा नं0 503/25, जिसका कुछ हिस्सा वन विभाग की परिधि में आता है, में भी मिट्टी उठाने का कार्य पाया गया।

निरीक्षण के आधार पर जांच दल का यह मत है कि वन विभाग के क्षेत्र में उठाई गई मिट्टी का असेसमेंट करने के उपरांत उक्त फर्म पर मिट्टी के अवैध दोहन के लिए **Environment Compensation** लगाया जाना उचित रहेगा।

श्रीमान् जी की सेवा मे तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

एम.ई खनिज विभाग धौलपुर	Rajkumar 20/11/2020 राजकुमार मीणा, सहा. पर्या. अभि. राज0 राज्य प्रदूषण मण्डल भरतपुर	20/11/2020 कैलाश चन्द मीना उप वन संरक्षक धौलपुर

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

(Near Chopra Shiv Mandir, NH-3 PH. & FAX-05642-220769 (Off.) 220807 (Res.) Mob-9414503458 | email: [illegible])

क्रमांक एफ ( ) सर्वे/उ व स/2017-18/ 7480 दिनांक 3/8/18

निमित्त,

खनि0 अभियंता

खान एव भू–विज्ञान विभाग

धौलपुर।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) जारी करने बाबत्।

संदर्भः– खनि0 अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग धौलपुर का पत्रांक 154 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई एन0ओ0सी एवं आधार मौका मुआयना सर्वे कार्य एवं पंचनामा के जारी की जाती है। एन0ओ0सी0 दिये जाने के साथ ही ये निर्देश भी प्रदान किये जाते है कि खसरा नम्बर 502/25, 503/25, 504/25, 505/25 506/25, 507/25, 508/25, 509/25 और 510/25 के निर्धारित क्षेत्र से बाहर कार्य नही किया जावे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उप वन संरक्षक

धौलपुर

STP (PWD)
03/8/18

E:\DESKTOP\DCF survey letter.doc

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज0)

क्रमांक– खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2018–19/243 दिनांक – 12/11/18

कार्यालय –आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (Raj.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश कमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbad, Major (Except important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Suppiy of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km1289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA; Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रूपये 2,63,50,000/– दिनांक 15.05.2018 से आवंटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 12.09.18 के साथ जो शिड्युल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटित कार्यादेश के लिए खनिज साधारण मिटटी मात्रा 25000 टन की अनुमति चाही है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वार्णित खसरा नं0 503/25 रकवा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक के द्वारा आवेदित आरजी खसरा न0 503/25 रकवा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.18 में बताया कि उक्त आराजी खसरा में खनिज साधारण मिटटी मात्रा 14293 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर ,मस्जिद सडक व आबादी से दूर है अतः मिटटी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिटटी की मात्रा 14293 टन की रायॅल्टी @ 4/– प्रति टन से राशि रू0 57,172/– चालान दिनांक 12.10.18, अनुमति शुल्क राशि रू0 7200/– चालान दिनांक 12.10.18, टी.सी.एस. की राशि रूपये 1288/– चालान दि0 12.10.18 एवं डी.एम.एफ.टी. डिस्टक मिनरल फाउन्डेशन टस्ट रायॅल्टी राशि का 10% राशि रूपया 5718/– चालान दिनांक 12.10.18को जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी मंशा पत्र कमांक 221 दिनांक 11.10.18 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा नं0 503/25 रकवा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 14293 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम मालीपुरा तह0 व जिला धौलपुर से साधारण मिटटी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ती तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 14293 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तो पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती हैं।

शर्तें–

1 संवेदक अनुमति अनुसार खसरा न0 502/25 रकवा 3 बीघा 04 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 14293 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।

2 संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।

3 इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

4 संवेदक मिटटी उठाने पर किसी प्रकार की सडक जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।

5 संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।

6 यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता हैं तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।

7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

8 अन्य शर्ते MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।

9 मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भवदीय,

(तेजपालगुप्ता)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

48

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज0)

क्रमांकः– खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2018–19/239 दिनांक – 12/11/18

कार्यालय –आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (Raj.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश क्रमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbad, Major (Except important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Suppiy of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km1289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA: Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रूपये 2,63,50,000/– दिनांक 15.05.2018 से आवंटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 12.09.18 के साथ जी शिड्युल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटित कार्यादेश के लिए खनिज साधारण मिटटी मात्रा 25000 टन की अनुमति चाही है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वार्णित खसरा नं0 502/25 रकवा 4 बीघा 05 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक के द्वारा आवेदित आरजी खसरा न0 502/25 रकवा 4 बीघा 05 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर की मौका रिर्पोट दिनाक 8.10.18 में बताया कि उक्त आराजी खसरा में खनिज साधारण मिटटी मात्रा 20859 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर ,मस्जिद सडक व आबादी से दूर है अतः मिटटी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिटटी की मात्रा 20859 टन की रायॅल्टी @ 4/– प्रति टन से राशि रू0 83,436/– चालान दिनांक 31.10.18, अनुमति शुल्क राशि रू0 10500/– चालान दिनांक 31.10.18, टी.सी.एस. की राशि रूपये 1879/– चालान दि0 31.10.18 एवं डी.एम.एफ.टी डिस्टक मिनरल फाउन्डेशन टस्ट रायॅल्टी राशि का 10% राशि रूपया 8344/– चालान दिनाक 31.10.18को जमा कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया हैं।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी मंशा पत्र कमांक 220दिनाक 11.10.18 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा नं0 502/25 रकवा 4 वीघा 05 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 20859 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम मालीपुरा तह0 व जिला धौलपुर से साधारण मिटटी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ती तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 20859 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती हैं।

शर्तें:–

1 संवेदक अनुमति अनुसार खसरा न0 502/25 रकवा 4 वीघा 05 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 20859 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।

2 संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।

3 इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

4 संवेदक मिट्टी उठाने पर किसी प्रकार की सडक जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।

5 संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।

6 यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता है तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।

7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

8 अन्य शर्ते MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।

9 मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भवदीय,

(तेजपालगुप्ता)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

46

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज0)

क्रमांक:– खअ / धौल / एस.टी.पी.नि.वि / 2018–19 / 216 दिनांक – 1/10/18

कार्यालय –आदेश

M/S GR INFRAPROJECTS LTD GR House, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (Raj.) को उनके पक्ष में Railvikas Limited of India के कार्य आदेश क्रमांक GRIL/DHAN/2018-19/03 दिनांक 15.05.18 से निर्माण कार्य Packages-II construction of Roadbad, Major (Except important And Major Steel Girder) & Minor Bridges, Track Linking (Excluding Suppiy of Rails And Main Line PSC Sleepers), Civil Engineering Works, S&T Works, OHE, TSS & General Electrical Works in connection With Third LINE Between (Km1289/0) DHOLPUR (Excluding) and (Km1202/0) ANTRI STATION (Including) on JHANSI Division of NORTH CENTRAL Railway in the state of MADHYA & Rajasthan, INDIA: Reg Earth Work from Dholpur (Ch.1289) to Hetampur (Ch.1277) का कार्य राशि रूपये 2,63,60,000/– दिनांक 15.05.2018 से आवटित किया गया है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 16.08.18 के साथ जी शिड्युल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवटित कार्यादेश के लिए खनिज साधारण मिटटी मात्रा 100000 टन की अनुमति चाही है, उक्त साधारण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वार्णित खसरा नं0 509/25 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म निजी भूमि दर्ज है।

आवेदक के द्वारा आवेदित आराजी खसरा न0 509/25 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.09.18 में बताया कि उक्त आराजी खसरा में खनिज साधारण मिटटी मात्रा 8612 टन उपलब्ध है तथा सार्वजनिक स्थल मन्दिर ,मस्जिद सडक व आबादी से दूर है अतः मिटटी की एस.टी.पी. दिया जाना उचित मानते हुए पुष्टि की है।

अतः MMCR 2017 के नियम 51 एवं 74 के तहत 2 मीटर मिटटी की मात्रा 8612 टन की रायॅल्टी @ 4/– प्रति टन से राशि रू0 34,448/– चालान दिनांक 28.9.2018, अनुमति शुल्क राशि रू0 4,406/– चालान दिनांक 28.09.2018, टी.सी.एस. की राशि रूपये 778/– चालान दि0 28.09.2018 एवं डी.एम.एफ.टी. डिस्टक मिनरल फाउन्डेशन टस्ट रायॅल्टी राशि का 10% राशि रूपया 3,445/– चालान दिनांक 28.09. 2018को जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं।

संवेदक द्वारा कार्यालय से जारी मंशा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 12.09.2018 की सम्पूर्ण पालना करने के पश्चात् खसरा नं0 509/25 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 8612 टन से उठाने की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियम 51एवं 74 के तहत 2 मीटर ग्राम अरूआ तह0 बाडी जिला धौलपुर से साधारण मिटटी के खनन कार्य की अनुमति जारी होने की तिथि से कार्य समाप्ती तक अथवा खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 8612 टन उपयोग होने जो भी पहले हो, तक उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

अतः संवेदक को एतद् द्वारा निम्न शर्तों पर साधारण मिट्टी को उठाने हेतु अनुमति जारी की जाती हैं।

शर्तेः–

1. संवेदक अनुमति अनुसार खसरा न0 509/25 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा ग्राम मालीपुर तह0 व जिला धौलपुर किस्म खाता निजी भूमि दर्ज है भूमि में गणना अनुसार मात्रा 8612 टन साधारण मिट्टी उठायेगा।
2. संवेदक 2.0 मीटर से अधिक गहराई से मिट्टी नहीं हटायेगा/उठायेगा।
3. इस अनुमति पत्र पर किसी पक्ष आपत्ति होने पर संवेदक स्वयं इसका समाधान करेगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
4. संवेदक मिट्टी उठाने पर किसी प्रकार की सडक जनपथ, गृह आदि सार्वजनिक सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा।
5. संवेदक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा।
6. यह अनुमति पत्र देय तिथि से पूर्व मिट्टी का उठाने/निर्माण संवेदक द्वारा कर लिया जाता है तो अनुमति ही समाप्त हो जायेगी।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
8. अन्य शर्तें MMCR 2017 के नियमों के अनुरूप रहेगी।
9. मिट्टी उठाने का कार्य प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र में ही करेगा।

भवदीय,

(तेजपालगुप्ता)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

43

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

(Near Chopra Shiv Mandir, NH-3 PH. & FAX-05642-220769 (Off.) 220807 (Res.) Mob-9414505258 Email-dcf.dhol.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( ) सर्वे/उ व सं/2019/2732 दिनांक 30 4/19

निमित्त,

खनि0 अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
धौलपुर।

विषय :– अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0ओ0सी0 जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7480 दिनांक 03.08.2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उप वन संरक्षक
धौलपुर

दिनांक

क्रमांक एफ ( ) सर्वे/उ व सं/2019/

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
धौलपुर

STP (RW D)
30/4/19

E:\DESKTOP\DCF\survey\letter.doc

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर (राज0)

कमांकः– खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2019–20/ दिनांक

:–

M/S GR INFRAPROJECTS LTD
GR House, Hiran Magri, Sector-11,
Udaipur (Raj.)

विषयः– अल्पावधि अनुमति निरस्त करने बाबत।

प्रसंगः– इस कार्यालय का आदेश कमांक 239 दिनांक 12.11.18,216 दिनांक 4.10.18 एंव 243 दिनांक 12.11.18तथा वन विभाग धौलपुर का पत्रांक 327दिनांक18.4.19,2672दिनांक 25.04.19तथा 2732 दिनांक 30.04.19 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के कम में लेख है कि वन विभाग धौलपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यादेश सं0 7480 दिनांक 3.08.18 के अन्तर्गत अराजी खसरा नम्बरान 503/25,509/25,502/25 से इस कार्यालय की अनुमति कमांक239 दिनांक 12.11.18,216 दिनांक 4.10.18 एंव 243 दिनांक 12.11.18 के द्वारा साधारण मिटटी उठाने की नियमानुसार अनुमति प्रदान की थी।

किन्तु वन विभाग धौलपुर के पत्रांक327दिनांक18.4.19,2672दिनांक 25.04.19तथा 2732 दिनांक 30.04.19 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर वन क्षेत्र मे आते है। तथा वन विभाग धौलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अतः वन विभाग की रिर्पोट के आधार पर आपको पूर्व में जारी की अल्पावधि अनुमति कमांक239 दिनांक 12.11.18,216 दिनांक 4.10.18 एंव 243 दिनांक 12.11.18को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है अतः आप उक्त खसरा नम्बरों से साधारण मिटटी का उत्खनन नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय,

(तेजपालगुप्ता)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

कमांकः– खअ/धौल/एस.टी.पी.नि.वि./2019–20/374-378 दिनांक :– 1/5/19

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लिमिटेड, बंगला नं0 ए–1, रेलवे ऑफीसर्स कॉलोनी झाँसी (उ0प्र0) 284003 को भेजकर सूचनार्थ प्रेषित है।
2 खनि कार्यदेशक प्रथम/द्वितीय कार्यालय हाजा सूचनार्थ प्रेषित है।
3 उपवन संरक्षक आपके पत्र कमांक 2732 दिनांक 30.04.19 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
4 तहसीलदार धौलपुर को लेख है कि हल्का पटवारी मालीपुरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

खनि अभियन्ता, धौलपुर

o/c

Scanned with CamScanner